रजिस्ट्री सं. डी एल(एन)-04/0007/2003-05 REGD. NO. D L(N)-04/0007/2003-05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 17] नई दिल्ली, सितम्बर 30—अक्तूबर 6, 2007, शनिवार/आश्विन 8—आश्विन 14, 1929
No. 17] NEW DELHI, SEPTEMBER 30—OCTOBER 6, 2007, SATURDAY/ASVINA 8—ASVINA 14, 1929

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

भाग II—खण्ड 4
PART II—Section 4

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश
Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence

रक्षा मंत्रालय

(वित्त प्रभाग)

नई दिल्ली, 14 सितम्बर, 2007

का.नि.आ. 53.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रक्षा लेखा विभाग में ज्येष्ठ निजी सचिव के पद पर भर्ती की पद्धति को विनियम करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् ;—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.– (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा लेखा विभाग (ज्येष्ठ निजी सचिव) नियम, 2007 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण एवं वेतनमान.–उक्त पदों की संख्या, इसका वर्गीकरण और उनसे संबद्ध वेतनमान इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के स्तम्भ 2 से 4 में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. नियंत्रण प्राधिकारी.–पद को रक्षा मंत्रालय (वित्त) के अधीन रक्षा लेखा महानियंत्रक के द्वारा प्रशासनिक रूप से नियंत्रित किया जाएगा ।

4. भर्ती की विधि, आयु सीमा, अर्हताएं आदि.–उक्त पदों की भर्ती की विधि, आयु सीमा, अर्हताएं तथा इससे संबंधित अन्य मामले उक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से 13 में विनिर्दिष्ट किए गए हैं ।

5. स्थानान्तरण का दायित्व.–ज्येष्ठ निजी सचिव भारत में कहीं भी स्थानांतरण के दायित्वाधीन होंगे ।

6. निरर्हताएं :–

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है उक्त सेवा में नियुक्ति का पात्र नहीं होगा ।

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

7. नियम शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

8. व्यावृत्ति.— इन नियमों की कोई भी बात, ऐसे आरक्षणों, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनपर सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों तथा अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन सह ज्येष्ठता या योग्यता के आधार पर चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
1	2	3	4	5	6
1. ज्येष्ठ निजी सचिव	15(2002) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।)	साधारण केन्द्रीय सिविल सेवा, (समूह 'ख') राजपत्रित, अननुसचिवीय	7500-250-12000 रु.	चयन	लागू नहीं होता

सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
7	8	9	10
नहीं	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियां द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनमें से पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा
11	12
प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा	**प्रोन्नति :** निजी सचिव (पूर्व ज्येष्ठ निजी कार्मिक सहायक) उस श्रेणी में 3 वर्ष नियमित सेवा की है। **टिप्पण :** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो ।

यदि विभागीय पदोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा ।
13	14
समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति प्रोन्नति के लिए में विचार करने के लिए (1) रक्षा लेखा अपर महानियंत्रक (लेखापरीक्षा या निरीक्षण) —अध्यक्ष (2) रक्षा लेखा संयुक्त महानियंत्रक (प्रशा.) —सदस्य (3) दो रक्षा लेखा नियंत्रक —सदस्य	इन नियमों के किसी उपबंध में संशोधन/शिथिल करने के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

[फा. सं. एफ 9(4)/सी/2000]

अमित कौशिश, अपर वित्तीय सलाहकार व संयुक्त सचिव

MINISTRY OF DEFENCE

(Finance Division)

New Delhi, the 14th September, 2007

S.R.O. 53.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Senior Private Secretary in the Defence Accounts Department, namely :—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Defence Accounts Department (Senior Private Secretary) Rules, 2007

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of Post, classification and scale of pay.**—The number of the said post, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Controlling authority.**—The post shall be administratively controlled by the Controller General of Defence Accounts under the Ministry of Defence (Finance).

4. **Method of Recruitment, age limit, qualifications etc.**—The method of recruitment to the said post, age limit, qualifications and other matters connected therewith shall be as specified in Columns 5 to 13 of the said Schedule.

5. **Liability for transfer.**—The Senior Private Secretary shall be liable to transfer anywhere in India.

6. **Disqualifications.**—No person :—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

7. **Power to relax:**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

8. **Saving:**—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-Servicemen and any other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of posts	Classification	Scale of pay	Whether selection or non-selection post	Age limit for direct recruits
1	2	3	4	5	6
Senior Private Secretary	15(2002) Subject to variation dependent on workload.	General Central Service (Group 'B') Gazetted, Non-Ministerial.	Rs. 7500-250-12000	Selection	Not applicable

Whether benefitof added year of service admissible	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees	Period of probation, if any
7	8	9	10
No	Not applicable	Not appplicable	Not applicable

Method of recruitment, Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of posts to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/deputation/absorption, grade from which promotion/deputation/absorption to be made
11	12
Promotion	**Promotion :—** Private Secretary (Erstwhile Senior Personal Assistant) with three years regular service in the Grade. **Note :** Where Juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying/ eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their Juniors who have already completed such Qualifying/Eligibility service.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition		Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
13		14
Group 'B' Departmental Promotion Committee for considering promotion :		Consultation with the Union Public Service Commission necessary for Amendment/ Relaxation of any provision of these rules.
1. Additional Controller General of Defence Accounts (Audit or Inspection.)	—Chairman	
2. Joint Controller General of Defence Accounts (Administration.)	—Member	
3. Two Controllers of Defence Accounts	—Members	

[F. No. F. 9(4)/C/2000]

AMIT COWSHISH, Jt. Secy. and Addl. Financial Adviser

नई दिल्ली, 21 सितम्बर, 2007

का.नि.आ. 54.—राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हॉस्टल आवास का आबंटन (रक्षा लेखा विभाग पूल) नियम 1993 का और संशोधन करते हुए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :–

1 (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हॉस्टल आवास का आबंटन (रक्षा लेखा विभाग पूल) संशोधन नियम, 2007 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. हॉस्टल आवास का आबंटन (रक्षा लेखा विभाग पूल) नियम, 1993 में,–

(क) नियम 5 के उप नियम 4 के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

"(5) अधिकारी या स्टाफ, जिन्हें नियमित निवास स्थान के बदले हॉस्टल आवास आबंटित किया गया है, को गैर-परिवार स्टेशनों पर स्थानान्तरण होने पर उन्हें भी उनके परिवार के लिए अपने अंतिम ड्यूटी स्टेशन पर निवास स्थान रखने की अनुमति सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञप्त होंगी जो निम्नलिखित शर्तों, जो समय समय पर विनिर्दिष्ट की जाएं, को पूरा करते हों, अर्थात् :–

(क) अधिकारी द्वारा सामान्य अनुक्रम में रक्षा लेखा विभाग या सामान्य पूल आवास के अधीन आवास के आबंटन के लिए आवेदन किया गया हो" ।

(ख) यद्यपि हॉस्टल आवास को रखने के लिए अनुज्ञा देने के पश्चात् भी अधिकारी का नाम रक्षा लेखा विभाग या साधारण पूल निवास स्थान प्रतीक्षा सूची में होना चाहिए ।

(ग) उपरोक्त नियमों के अधीन सक्षम प्राधिकारी या आबंटन प्राधिकारी संबंधित रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक या रक्षा लेखा नियंत्रक या रक्षा लेखा महानियंत्रक होंगे ।

[फाइल संख्या एफ. 12(2)/सी/2007]

डी. के. पाण्डेय, निदेशक (वित्त/समन्वय)

टिप्पणी: मूल नियम का.नि.आ. सं. 90 तारीख 24 जुलाई, 1993 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और पश्चात्वर्ती संशोधन का.नि.आ. सं. 67 तारीख 28 फरवरी, 2000 तथा का.नि.आ. सं. 270 तारीख 15 नवम्बर, 2000 द्वारा किए गए ।

New Delhi, the 21st September, 2007

S.R.O. 54.—In exercise of the powers conferred by proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Allotment of Hostel Accommodation (Defence Accounts Department Pool) Rules, 1993, namely :—

1 (1) These rules may be called the Allotment of Hostel Accommodation (Defence Accounts Department Pool) Amendment Rules, 2007

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Allotment of Hostel Accommodation (Defence Accounts Department Pool) Rules, 1993.

(a) after sub-rule 4 of rule 5, the following shall be inserted, namely :—

"(5) The officers or staff who have been allotted hostel accommodation in lieu of regular residential accommodation will also be allowed to retain the accommodation by the Competent Authority for their family at the last duty station on their transfer to non-family stations specified from time to time on fulfillment of following conditions, namely :—

(a) The officer should have applied for allotment of residential accommodation under Defence Accounts Department or General pool accommodation in the normal course.

(b) The name of the officer should figure in the wait list meant for allotment of Defence Accounts Department or General pool accommodation even after permission for retention of hostel accommodation is granted.

(c) The Competent Authority or Allotting Authority under the above rules will be the concerned Principal Controller of Defence Accounts or Controller of Defence Accounts or Controller General of Defence Accounts.

[File No. F. 12(2)/C/2007]

D. K. PANDEY, Director (Finance/Coord)

Note: The Principal Rules were published in the Gazette of India vide number SRO 90 dated 24th July, 1993 and subsequently amended vide Number SRO-67 dated 28th February, 2000 and SRO-270 dated 15th November, 2000.

नई दिल्ली, 21 सितम्बर, 2007

का.नि.आ. 55.—राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए,सरकारी निवास स्थान आबंटन (रक्षा लेखा विभाग पूल) नियम, 1986 को और संशोधित करते हुए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :–

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सरकारी निवास स्थान आबंटन (रक्षा लेखा विभाग पूल) संशोधन नियम, 2007 है

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. सरकारी निवास स्थान आबंटन (रक्षा लेखा विभाग पूल) नियम, 1986 में–

(क) नियम 2 के खण्ड (ज) में द्वितीय परन्तुक के बाद निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

"परन्तु यह और भी कि किसी कार्मिक द्वारा पूर्व में की गई सेवा की गणना पूर्वीकता तारीख के निर्धारण के लिए की जाएगी चाहे कार्मिक ने सेवान्त प्रसुविधाएं जैसे पेंशन और ग्रेच्यूटी ले लिए हैं तथा पूर्वीकता की तारीख के अवधारण करने के लिए पूर्व की कुल सेवा में से सेवा में व्यवधान की अवधि घटा दी जाएगी"।

(ख) नियम 3 में:–

(i) उप नियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :–

(2) कोई अधिकारी अपने ड्यूटी स्थान या उससे लगी हुई नगरपालिका क्षेत्र में अपने या अपने परिवार के किसी सदस्य के नाम से मकान का स्वामी है, सरकार द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट ऐसे लाइसेंस शुल्क का भुगतान करके वह इन नियमों के अधीन सरकारी आवास के आबंटन का पात्र होगा किन्तु उपर्युक्त आबंटन आवास की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

(ii) उपनियम (3) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

(3) "जहां, इन नियमों के अधीन किसी अधिकारी को सरकारी निवास स्थान के आबंटन के पश्चात् आबंटित कर दिया जाता है, वह या उसके कुटुम्ब का कोई अन्य सदस्य उसके ड्यूटी स्थल या उससे संलग्न नगरपालिका क्षेत्र में मकान का निर्माण करता है अथवा मकान का स्वामी बन जाता है, वहां ऐसा अधिकारी सरकार द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट लाइसेंस शुल्क का भुगतान करने, मकान पूर्ण होने या किराए पर दिए जाने या काबिज होने, जो भी पहले हो, की तारीख से एक मास के भीतर इसकी सूचना सम्पदा अधिकारी या आबंटन प्राधिकारी को देगा"।

(ग) नियम 7 के खण्ड (ग) के बाद निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

(घ) "इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी, सा.नि. 317-बी-8 और भारत सरकार, शहरी विकास मेत्रालय, सम्पदा निदेशालय के तारीख 6 नवम्बर, 1984 और तारीख 10 नवम्बर, 1987 के कार्यालय ज्ञापन सं. 12035(6)/83-पीओएल-II में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार स्टेशन पर क्वार्टरों की आपूर्ति तथा मांग के आधार पर सम्पदा अधिकारी महिलाओं के लिए एक पृथक पूल रेखेंगे।"

(घ) नियम 9 के उप-नियम 5 के पश्चात् निम्नलिखित उप-नियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

"(6) **आरक्षित या नियुक्ति आवास**–विभाग द्वारा आरक्षित या नियुक्ति निवास स्थान के रूप में विशिष्ट रिहायशी निवास स्थान (टाइप-5 या टाइप-6) को अधिसूचित कर सकेगा जो उसी पदधारी को आबंटित हो सकेगा जिस पद के लिए आवास आरक्षित किया गया है।

(7) पद का पदधारी, जिसके लिए आरक्षित निवास स्थान निश्चित किया गया है, पदधारिता की अवधि में आवास का काबिज माना जाएगा जब तक कि इन नियमों के अधीन आबंटन को बदल नहीं दिया जाता या निलंबित नहीं कर दिया जाता।

(8) कोई आरक्षित या नियुक्ति निवास स्थान पर उस अधिकारी द्वारा अधिभोग आशयित है जो वास्तव में उस पर पर है। आबंटन केवल पदधारिता की अवधि के दौरान ही अस्तित्व में रहेगा तथा पदधारिता में बदलाव के तत्काल पश्चात् से उत्तराधिकारी पदधारी के निवास स्थान का आबंटिती हो जाता है। सामान्यतया उत्तराधिकारी पदधारी के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि वह निवास स्थान का तत्काल कब्जा ले। इन बातों के होते हुए भी बाहर जाने वाले पदधारी या उसके परिवार को वित्तीय नियम, 45 के अधीन किराए का भुगतान करने पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा एक माह की अवधि के लिए निवास स्थान को रखने की अनुमति दी जा सकती है; परन्तु, पद के नए पदधारी के हितों के विपरीत न होगा और निवास स्थान को आसानी से दिया जा सके तथा इसमें सरकार को कोई राजस्व हानि या अतिरिक्त लागत निहित न हो।

(9) उन मामलों में जहां अधिकारी को परिवार निवास स्थान हेतु वर्जित स्टेशन पर तैनात किया जाता है तथा वह अपने पररिवार को पिछले ड्यूटी स्थान पर रखने का हकदार है तो उसे उपलब्धता के अनुसार वैकल्पिक उपयुक्त निवास स्थान उपलब्ध कराया जाएगा (अधिकारी को आबंटित निवास स्थान के टाइप का ध्यान दिए बिना)

(10) पद के पदधारी के लिए जिसके लिए कोई विशेष घर/निवास स्थान आरक्षित किया गया है, यह अनिवार्य होगा कि वह ऐसे आवास का कब्जा ले ।

(ङ) नियम 16 के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

"परन्तु सपरिवार निवास स्थान से वर्जित स्टेशनों पर स्थानांतरण होने की दशा में, जैसा कि समय-समय पर विनिर्दिष्ट किया जाता है, पुराने ड्यटी स्टेशन पर निवास स्थान को बनाए रखने के लिए भारत सरकार द्वारा समय-समय पर पृथक रूप से जारी आदेशों द्वारा नियंत्रित होगी।"

[फाइल संख्या एफ. 12(2)/सी/2007]

डी. के. पाण्डेय, निदेशक (वित्त/समन्वय)

टिप्पणी : मूल नियम के सं. का.नि.आ. सं. 351 तारीख 13 दिसम्बर, 1986 के द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित किए गए थे और पश्चात्वर्ती संशोधन संख्या का.नि.आ. सख्या 136 तारीख 4 जुलाई, 1992, का.नि.आ. सं. 80 तारीख 25 मार्च 1995, का.नि.आ. सं. 116 तारीख 21 जुलाई 1997, का.नि.आ. सं. 61 तारीख 12 फरवरी 1999,, का.नि.आ. सं. 62 तारीख 12 फरवरी 1999 और का.नि.आ. सं. 199 तारीख 20 दिसम्बर, 1999 के द्वारा किए गए।

New Delhi, the 21st September, 2007

S.R.O. 55.—In exercise of the powers conferred by proviso to article 309 of the Constitution , the President hereby makes the following rules further to amend the Allotment of Government Residences (Defence Accounts Department Pool) Rules 1986, namely:-

1. (1) These rules may be called the Allotment of Government Residences (Defence Accounts Department Pool) Amendment Rules, 2007.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Allotment of Government Residences (Defence Accounts Department Pool) Rules, 1986.

(a) In rule 2, in clause (h), after the Second, proviso, the following shall be inserted, namely:

"Provided also that past service rendered by an employee shall be counted for the purpose of determining the date of priority even if the officer has drawn terminal benefits like pension and gratuity and periods of break in service shall be deducted from the total of the past service for determining date of priority";

(b) In rule 3.

(i) for sub-rule (2) the following shall be substituted namely :—

"(2) An officer owning a house either. in his name or in the name of any of his family members at the place of his duty or in an adjoining Municipality shall be eligible for allotment of Government accommodation under these rules, on payment of such licence fee as may be specified by Government from time to time provided that the above allotment will be subject to availability of accommodation"

(ii) for sub rule (3), the following shall be substituted namely:

(3) "Where, after a Government accommodation has been allotted to an officer under these rules, he or any 'other member of his family constructs a house or becomes owner of a house at the place of his duty or in an adjoining Municipality, such officer shall notify the fact to the Estate Officer or Allotting Authority within a period of one month from the date on which house is completed or let out or occupied, whichever is earlier on payment of such licence fee as may be specified by Government from time to time"

(c) after clause (c) of rule 7, the following shall be inserted namely:—

"(d) Notwithstanding anything contained in these rules, the Estate Officers shall maintain a separate pool for ladies depending upon the supply and demand of the quarters in the station as per the provisions contained in S.R 317-B-8 and Government of India, Ministry of Urban Development, Directorate of Estates, OM No.12035(6)/ 83-Pol-II dated 10th November' 1987 and dated 6th November'1984".

(d) after sub rule 5 of rule 9, the following sub rule shall be inserted, namely:—

"(6) Reserved or Appointment accommodation.- The Department may.,notify specific residential accommodations Type- V or VI) as reserved or appointment accommodations which will be allotted to the respective incumbents of the post for which the accommodation has been reserved.

(7) The incumbent of the post for whom the reserved accommodation has been earmarked shall be considered to be in occupation of the residence.during the period of his incumbency unless the allotment is changed or suspended under these rules.

(8) A reserved or appointment accommodation his intended for occupation by the officer who actually holds the post. The allotment subsists only during the period of incumbency and immediately on change of incumbency, the successor incumbent becomes the allottee of the residence in question. It will therefore, normally be necessary for the successor incumbent to occupy the residence immediately after taking over. Notwithstanding

these considerations, the outgoing incumbent of the post or his family, can be permitted by .the Competent authority to retain such accommodation for a period of one month on payment of rent under FR-45A, provided that it is not detrimental to the interest of the new incumbent of that post and the accommodation can be conveniently spared and it does not involve any loss of revenue or extra cost to the Government.

(9) In cases where the officer is posted to non- family station and is entitled to retain his or her family at the last duty station, alternate suitable accommodation may be provided as per availability (irrespective of the type of accommodation allotted to the officer).

(10) It would be mandatory for the incumbent of the post for which a particular house/accommodation has been reserved to occupy such accommodation;

(e) after rule 16, the following proviso shall be inserted, namely:—

"Provided that retention of accommodation at the old duty station in the event of transfer to non-family stations as may be specified from time to time will be governed by separate orders issued by the Government of India from time to time".

[F. No. F. 12(2)/C/2007]

D. K. PANDEY, Director (Finance/Coord)

Note: The Principal Rules were published in the Gazette of India *vide* number S.R.O. 351 dated 13th December,1986 and subsequently amended *vide* numbers S.R.O. 136 dated 4th July, 1992 , S.R.O. 80 dated 25th March, 1995 and S.R.O. 116 dated 21st July, 1997, S.R.O.61 dated 12th February, 1999, S.R.O. 62 dated 12th February, 1999 and S.R.O. 199 dated 20th December, 1999.

नई दिल्ली, 14 सितम्बर, 2007

का.नि.आ. 56—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, रक्षा मंत्रालय सेना (आशुलिपिक श्रेणी 1) समूह 'ख' पद भर्ती नियम, 2005 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय, सेना (आशुलिपिक श्रेणी-1) समूह 'ख' पद भर्ती (संशोधन) नियम, 2007 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. रक्षा मंत्रालय, सेना (आशुलिपिक श्रेणी-1) समूह 'ख' पद भर्ती नियम, 2005 को अनुसूची में, स्तम्भ (12) के अधीन—

(1) "प्रोन्नति" शीर्ष के अधीन आने वाले टिप्पण को हटा दें।

(2) "प्रोन्नति" शीर्ष के अधीन विद्यमान टिप्पण 3 को टिप्पण 2 के रूप में पुनसंख्यांकित करें।

[फा. सं. 15321/आरआर/एमपी 4(सिव)(ए)]

सी.जे. जोस, अवर सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, भाग 2, खण्ड 4 में का.नि.आ. 61 तारीख 17-23 जुलाई, 2005 में प्रकाशित हुए और बाद में का.नि.आ. 53 तारीख 23-29 अप्रैल, 2006 के द्वारा संशोधित किए गए।

New Delhi, the 14th September, 2007

S.R.O. 56.—In exercise of powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Ministry of Defence, Army (Stenographer Grade I) Group' B' Post Recruitment Rules, 2005, namely:—

1. (1) These rules may be called the Ministry of Defence, Army (Stenographer Grade I) Group 'B' Post Recruitment (Amendment) Rules, 2007.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Ministry of Defence, Army (Stenographer Grade I) Group 'B' Post Recruitment Rules, 2005, under column (12):—

(i) Delete Note 2 appearing under the heading 'Promotion'.

(ii) Renumber the existing Note 3 under the heading 'Promotion' as Note 2.

[F. No. 15321/RR/MP 4 (Civ.) (a)]

C. J. JOSE, Under Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Part II, Section 4 *vide* number S.R.O. 61 dated the 17th -23rd July, 2005 and subsequently amended *vide* number S.R.O. 53 dated the 23rd - 29th April, 2006.

नई दिल्ली, 11 सितम्बर, 2007

का.नि.आ. 57.—राष्ट्रीय कैडेट कोर अधिनियम, 1948 (1948 का 31), की धारा 12 की उप-धारा (1) और (1ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा श्री वी. हनुमंत राव, संसद सदस्य (राज्य सभा) की नियुक्ति राष्ट्रीय कैडेट कोर की केन्द्रीय सलाहकार समिति के सदस्य के रूप में अधिसूचित करती है तथा इस प्रयोजन हेतु भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के समय-समय पर यथासंशोधित सा.नि.आ. 76-ई, दिनांक 10-10-1983 की अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करती है; नामत: :—

उक्त अधिसूचना में, "धारा 12 की उप-धारा (1) के खण्ड (1) के तहत" शीर्षक के अधीन प्रविष्टि (13), के लिए निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएंगी; नामत: :—

"(13) श्री वी. हनुमंत राव, संसद सदस्य (राज्य सभा) 5 सितम्बर, 2007 से 4 सितंबर, 2008 तक की अवधि के लिए निर्वाचित।"

[फा. सं. पी सी 11(51)/92/रक्षा (जी एस-6)/खण्ड-2]

भास्कर वर्मा, उप सचिव

New Delhi, the 11th September, 2007

S.R.O. 57.—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (1A) of Section 12 of the National Cadet Corps Act, 1948 (31 of 1948), the Central Government hereby notifies the appointment of Shri V.Hanumantha Rao, Member of Parliament (Rajya Sabha) as Member of the Central Advisory Committee for the National Cadet Corps and for that purpose amends the notification of the Government of India in the Ministry of Defence No. SRO 76-E dated the 10th October, 1983, as amended from time to time, as follows, namely:—

In the said notification, under the heading "under clause (i) of sub-section (1) of Section 12" for the entry (13), the following entry shall be substituted, namely :—

"(13) Shri V. Hanumantha Rao, Member of Parliament (Rajya Sabha) elected with effect from the 5th September, 2007 upto 4th September, 2008."

[No. PC-11(51)/92/D(GS-VI)/Vol-II]

BHASKAR VERMA, Dy. Secy.

नई दिल्ली, 11 सितम्बर, 2007

का.नि.आ. 58—राष्ट्रीय कैडेट कोर अधिनियम, 1948 (1948 का 31), की धारा 12 की उप-धारा (1) और (1ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा श्री ब्रजेश पाठक तथा श्री धर्मेन्द्र प्रधान, लोक सभा के सांसद की नियुक्ति राष्ट्रीय कैडेट कोर की केन्द्रीय सलाहकार समिति के सदस्य के रूप में अधिसूचित करती है तथा इसके लिए भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सा.नि.आ. 76-ई, दिनांक 10-10-1983 में निम्नलिखित संशोधन करती है; अर्थात् :—

उपर्युक्त अधिसूचना में, "धारा 12 की उप-धारा (1) के खण्ड (1) के तहत" शीर्षक के अधीन (14) तथा (15) प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी; नामत: :—

"(14) श्री ब्रजेश पाठक, सांसद (लोक सभा) 23 अगस्त, 2007 से एक वर्ष के लिए निर्वाचित ..... सदस्य।"

(15) श्री धर्मेन्द्र प्रधान, सांसद (लोक सभा) 23 अगस्त, 2007 से एक वर्ष के लिए निर्वाचित ..... सदस्य।"

[फा. सं. पी सी 11(51)/92/रक्षा (जी एस-6)/खण्ड-2]

भास्कर वर्मा, उप सचिव

पाद टिप्पणी : यह अधिसूचना सा.नि.आ. 76(ई) दिनांक 10-10-1983 के अंतर्गत प्रकाशित की गई थी और तत्पश्चात् निम्नलिखित के तहत संशोधन किया गया :—

1. सा.नि.आ. सं. 290 दिनांक 18.8.1986
2. सा.नि.आ. सं. 154 दिनांक 6.4.1987
3. सा.नि.आ. सं. 298 दिनांक 25.9.1987
4. सा.नि.आ. सं. 110 दिनांक 28.5.1990
5. सा.नि.आ. सं. 140 दिनांक 28.6.1990
6. सा.नि.आ. सं. 224 दिनांक 30.9.1991
7. सा.नि.आ. सं. 225 दिनांक 30.9.1991
8. सा.नि.आ. सं. 183 दिनांक 22.6.1992
9. सा.नि.आ. सं. 184 दिनांक 20.5.1993
10. सा.नि.आ. सं. 71 दिनांक 8.6.1993
11. सा.नि.आ. सं. 99 दिनांक 19.4.1995
12. सा.नि.आ. सं. 162 दिनांक 12.9.1996
13. सा.नि.आ. सं. 92 दिनांक 19.6.1998
14. सा.नि.आ. सं. 125 दिनांक 19.5.2000
15. सा.नि.आ. सं. 162 दिनांक 30.8.2001
16. सा.नि.आ. सं. 182 दिनांक 27.8.2002
17. सा.नि.आ. सं. 119 दिनांक 27.8.2003
18. सा.नि.आ. सं. 08 दिनांक 11.1.2005
19. सा.नि.आ. सं. 42 दिनांक 20.3.2006

New Delhi, the 11th September, 2007

S.R.O. 58.—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (1A) of Section 12 of the National Cadet Corps Act, 1948 (31 of 1948), the Central Government hereby notifies the appointment of Shri Brajesh Pathak and Shri Dharmendra Pradhan, Members of the Lok Sabha as Members of the Central Advisory Committee for the National Cadet Corps and for that purpose amends the notification of the Government of India in the Ministry of Defence No. SRO 76-E dated the 10th October, 1983, as amended from time to time, as foliows, namely :—

In the said notification, under the heading—

"under clause (i) of sub-section (1) of Section 12"

for the entries (14) and (15), the following entries shall be substituted, namely :—

(14) Shri Brajesh Pathak, Member of Parliament (Lok Sabha) elected with effect from the 23rd August, 2007 for one year .... .Member

(15) Shri Dharmendra Pradhan, Member of Parliament (Lok Sabha) elected with effect from the 23rd August, 2007 for one year .....Member

[No. PC-11(51)/92/D(GS-VI)/Vol-II]

BHASKAR VERMA, Dy. Secy.

Foot Note: The notification was published vide SRO No. 76(E), dated the 10th October, 1983 and subseqently amended vide:—

1. S.R.O. No.290 dated 18.8.1986
2. S.R.O. No. 154 dated 6.4.1987
3. S.R.O. No. 298 dated 25.9.1987
4. S.R.O. No. 110 dated 28.5.1990
5. S.R.O. No. 140 dated 28.6.1990
6. S.R.O. No. 224 dated 30.9.1991
7. S.R.O. No. 225 dated 30.9.1991
8. S.R.O. No. 183 dated 22.6.1992
9. S.R.O. No. 184 dated 20.5.1993
10. S.R.O. No. 71 dated 8.6.1993
11. S.R.O. No. 99 dated 19.4.1995
12. S.R.O. No. 162 dated 12.9.1996
13. S.R.O. No. 92 dated 19.6.1998
14. S.R.O. No. 125 dated 19.5.2000
15. S.R.O. No. 162 dated 30.8.2001
16. S.R.O. No. 182 dated 27.8.2002
17. S.R.O. No. 119 dated 27.8.2003
18. S.R.O. No. 08 dated 11.1.2005
19. S.R.O. No. 42 dated 20.3.2006

नई दिल्ली, 13 सितम्बर, 2007

का.नि.आ. 59—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद, 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तटरक्षक संगठन समूह 'ग' और समूह 'घ' अग्निशमन कर्मचारिवृंद भर्ती नियम, 2006 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् : –

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम तटरक्षक संगठन समूह 'ग' और समूह 'घ' अग्निशमन कर्मचारिवृंद भर्ती (संशोधन) नियम, 2007 हैं ।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. तटरक्षक संगठन समूह 'ग' और समूह 'घ' अग्निशमन कर्मचारिवृंद भर्ती नियम, 2006 की अनुसूची में,–

(1) दमकल ड्राइवर के पद से संबंधित क्रम सं. 2 के सामने, स्तम्भ 8 में, "आवश्यक" शीर्ष के अधीन, "उसके पास भारी यान चलाने की चालन अनुज्ञप्ति हो और कम से कम तीन वर्ष का भारी यान चलाने का अनुभव हो" प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :–

"उसके पास भारी यान चलाने की चालन अनुज्ञप्ति हो और किसी निजी या सरकारी संगठन/संस्था में कम से कम तीन वर्ष का भारी यान चलाने का अनुभव हो"

(2) फायरमैन, श्रेणी–2 के पद से संबंधित क्रम सं. 4 के सामने, स्तम्भ 8 में, विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :–

"(क) आठवीं कक्षा या समतुल्य उत्तीर्ण होनी चाहिए ।

(ख) श्रमसाध्य कर्तव्यों के पालन करने में शारीरिक रूप से योग्यता और सक्षमता होनी चाहिए। श्रमसाध्य कर्तव्यों को निम्नलिखित शारीरिक मानकों के रूप में परीक्षण किया जाएगा :–

(i) बिना जूते ऊंचाई–165 सेंटीमीटर। परन्तु यह कि अनुसूचित जनजाति और पहाड़ी इलाकों के अभ्यर्थियों के सदस्यों के लिए 2.5 सेंटीमीटर की रियायत दी जाएगी ।

(ii) छाती (बिना फुलाए)–81.5 सेंटीमीटर ।

(iii) छाती (फुलाकर)–85 सेंटीमीटर ।

(iv) वजन–50 किलो (न्यूनतम) ।

(v) क्षमता परीक्षण :

(1) फायरमैन द्वारा 65.5 किलोग्राम के वजन के आदमी को 96 सैकेंड के भीतर 183 मीटर की दूरी तक उठाकर ले जाना ।

(2) 2.7 मीटर चौड़ी खाई दोनों पैर पार करना (लम्बी कूदान) ।

(3) हाथ और पैर का प्रयोग करते हुए 3 मीटर उर्ध्वाकार रस्सी पर चढ़ना । "

[फा. सं. सी.पी./0434/एसओ(सी.जी–आर/733/डी(एन–II]

वी. के. तिवारी, निदेशक (एन.–II)

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, भाग II, खण्ड 4, तारीख 17 जून, 2006 में भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का.नि.आ. सं. 78 तारीख 6 जून, 2006 द्वारा प्रकाशित किए गए थे ।

New Delhi, the 13th September, 2007

S.R.O. 59.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Coast Guard Organisation Groups 'C' and 'D' Fire Fighting Staff Recruitment Rules, 2006.

1. (1) These rules may be called the Coast Guard Organisation Group 'C' and Group 'D' Fire Fighting Staff Recruitment (Amendment) Rules, 2007.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Coast Guard Organisation Groups 'C' and 'D' Fire Fighting Staff Recruitment Rules, 2006—

(i) against serial number 2, relating to the post of Fire Engine Driver, in column 8, under the heading "Essential", for the entry "Must be possessing heavy vehicle driving licence with at least three years experience of driving heavy vehicles", the following shall be substituted, namely:—

" Must be possessing heavy vehicle driving licence with at least three years experience of driving heavy vehicles in any of private or Government organisation/Institute."

(ii) against serial number 4, relating to the post of Fireman Grade II, in column 8, for the entries, the following shall be substituted, namely:—

"(a) Must have passed 8th class examination or equivalent.

(b) Must be physically fit and capable of performing strenuous duties. The strenuous duties will be tested as per following physical standards :—

(i) Height without shoes - 165 Cms. provided that a concession of 2.5 Cms in height shall be allowed for members of the Scheduled Tribes and candidates of hilly areas.

(ii) Chest (unexpanded)-81.5 Cms

(iii) Chest (on expansion) - 85 Cms

(iv) Weight - 50 Kg (Min.)

(v) Endurance Test:

(1) Carrying a man weighing 63.5 Kgs by fireman lift up to a distance of 183 metres within 96 seconds.

(2) Clearing 2.7 metres wide ditch by landing on both feet (long jump)

(3) Climbing 3 metres vertical rope by hands and feet.

[F. No. CP/0434/SO(CG-R)/733/D(N-II)]

V. K. TIWARY, Director (N-II)

Note : The Principal rules were published in the Gazette of India, Part II, Section 4, dated 17th June, 2006, *vide* Notification of the Government of India in the Ministry of Defence S.R.O. No. 78 dated 6th June, 2006.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.